कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पत्रांकः–4087/ 33–1 ,दिनांक, महोबा, जून 07/,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त,
उ0प्र0, बाँदा।

विषयः– उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सलईया–नाथूपुरा, लहचुरा–काशीपुरा, धवर्रा–सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन विछाने हेतु जिला–महोबा में प्रभावित 12.4869 हे0 संरक्षित एवं 1.9665 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 14.4534 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–3232/11–सी–FP/UP/water/150368/2021, दिनांक 17.05.2022

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में 10 बिन्दुओं पर मांगी गयी कमियाँ/अभिलेखों के निस्तारण हेतु आख्या निम्नानुसार आपको 4 प्रतियों में प्रेषित है–

बिन्दु संख्या	कमियों का उल्लेख	कमियों का निराकरण
1.	प्रस्ताव में पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पार्ट–1 संलग्न किया गया है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर संशोधित ऑनलाइन पार्ट–1 प्रस्ताव से संलग्न करें।	अनुपालन किया गया।
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक–23/41–2–2019–190 जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र पुनः संलग्न नहीं है।	प्रयोग के बदले।
3.	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428/11–सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र पुनः संलग्न नहीं किया गया है।	प्रभाग द्वारा पूर्व में संरक्षित वन भूमि के बदले दो गुने क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित मझोल वन ब्लाक के स्थान पर रतौली वन ब्लाक क्षेत्रफल–03 हे0 चयन किया गया। चूँकि रतौली वन ब्लाक क्षेत्रफल–05 हे0 से कम हैं इसलिए सम्बन्धित क्षेत्र का DSS Analysis किया जाना आवश्यक नहीं है।
4.	भू–स्वामित्व वाले विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के क्रम में पत्राचार संलग्न किया गया है, जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न करें।	अनुपालन किया गया।
5.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–21 पर संलग्न प्रमाण पत्र एवं पृष्ठ संख्या–40 से 52 पर संलग्न किये गये गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन में गैर वनभूमि को वनभूमि दर्शाया गया है तथा प्राक्कलन में शीर्षक भी गलत अंकित है। अतः सही कर संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	अनुपालन किया गया।
6.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही गैर वनभूमि का उपयुक्कता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।	अनुपालन किया गया।
7.	प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & kml file ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड नहीं है।	अनुपालन किया गया।

बिन्दु संख्या	कमियों का उल्लेख	कमियों का निराकरण
8.	प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में प्रस्तावित की के0एम0एल0 फाइल अपलोड नहीं है। अतः अपलोड करें।	अनुपालन किया गया।
9.	प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में अपलोड की गयी अवनत वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल त्रुटिपूर्ण है एवं ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड की गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल पर ओवरलैप कर रही है। अतः प्रस्ताव के साथ संलग्न पेन्ड्राइव में वृक्षारोपण हेतु चयनित अवनत वनभूमि एवं गैर वन भूमि की सही के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।	अनुपालन किया गया।
10.	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें तथा पेनड्राइव में अपलोड किये गये अनावश्यक अभिलेख को डिलीट करें।	अनुपालन किया गया।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

भवदीय,

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पृष्ठांकन संख्या————————/अ/सम दिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।